क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

राजस्व विविध वाद सं0– 02/2014–15

सेवारियन हेम्ब्रम वगै0

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– झिकटिया, प्रधान– राजेश टुडू

आदेश

22-04-19 आवेदक के द्वारा दाखिल राजस्व विविध वाद आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षी 16 आना रैयत, मौजा– झिकटिया प्रधान के द्वारा लगान रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किये हैं। आवेदक के आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर विपक्षी को नोटिश निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गयी एवं आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, पतना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

आज उभय पक्ष उपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि अंचल पतना अंतर्गत मौजा झिकटिया नं0– 31 के जमाबंदी नं0– 29, दाग नं0– 244, 245, 265, 266, 267, 268 एवं 310 कुल रकवा 10 बीघा 11 कट्ठा 15 धूर जमीन श्रीमान् के न्यायालय के उच्छेदी वाद सं0– 02/1996–97 में दिनांक 02.09.2000 को आवेदक के भाई फ्रांसीस हेम्ब्रम को उक्त वर्णित जमीन पर दखल दिहानी हेतु आदेश दिया गया था। बाद में अवैध दखलकार भागीरथ योगी ने श्रीमान् उपायुक्त महोदय, साहेबगंज के न्यायालय में आर0एम0पी0 वाद सं0– 13/2002–03 दायर किये थे। जिसमें फ्रांसीस हेम्ब्रम के पक्ष में श्रीमान् के द्वारा पारित आदेश को ही बरकरार रखा।

उसके पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के उप सचिव को उच्छेदी वाद के आदेश को कार्य रूप में लाने हेतु सेवारियन हेम्ब्रम के द्वारा आवेदन किया गया। उप सचिव, झारखंड, राँची में उच्छेदी वाद में पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई हेतु पत्रांक 17/2008 के द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज को पत्र प्रेषित किया। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, पतना एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा दिनांक 02.04.2010 को फ्रांसिस हेम्ब्रम को उक्त जमीन को अपने कब्जे में लिए और देख–रेख करने लगे। आवेदकगण दिनांक 02.04.2010 को दखल देहानी के पश्चात से ही विपक्षी मौजा प्रधान के पास उक्त वर्णित जमीन का राजस्व देकर लगान रसीद देने का अनुरोध किये, परन्तु विपक्षी टाल–मटोल करते आ रहे तथा श्रीमान् उपायुकत महोदय के आदेश के बावजूद उक्त वर्णित जमीन का लगान रसीद आवेदकगण को नहीं दे रहे हे, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त वर्णित जमीन का खजाना लेकर लगान रसीद देने हेतु विपक्षी मौजा प्रधान को आदेश देने का अनुरोध किये हैं।

जबाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि विवादित भूमि मौजा– झिकटिया, जमाबंदी नं0– 29 के दाग नं0– 244, 245, 265, 266, 267, 268 एवं 310, कुल रकवा 10 बीघा 11 कट्ठा 15 धूर जमीन खतियानी रैयत टिन्कु गोस्वामी उर्फ अलोक योगी हैं, जो जाति के ब्रह्मण हैं एवं वह एक संथालीन सावना मुर्मू से विवाह किये थे। दोनों ने मसीचरण सोरेन को पोष पुत्र के रूप में रख लिये थे। मसीचरण सोरेन ने उक्त सम्पत्ति को जीवनभर रख–रखाव के लिए विरेन हेम्ब्रम, ग्राम– दाहुजोर, थाना– रांगा, जिला– साहेबगंज को रखे थे। मसीचरण के एक पुत्र रोबेन सोरेन हुए एवं रोबेन सोरेन के दो पुत्र खरवा सोरेन उर्फ मालदा सोरेन एवं मुंशी सोरेन हुए। मसीचरण सोरेन एवं रोबेन सोरेन के मृत्यू के पश्चात उनके दो पुत्र रहे। खरवा सोरेन उर्फ मालदा सोरेन नावल्द की नावल्द मृत्यू हुई एवं मुंशी सोरेन आज

Scanned with CamScanner

लापता है। उसके पश्चात मुंशी सोरेन की मृत्यू के बाद उनके नाम से फ्रांसिस ह

तक लापता है। उसके पश्चात मुंशी सोरेन की मृत्यू के बाद उनके नाम से फ्रांसिस हेम्ब्रम को पोष पु
स्थापित हो गये, क्योंकि मुंशी सोरेन के प्रबंधक विरेन हेम्ब्रम के द्वारा फ्रांसिस हेम्ब्रम को पोष पु
रखा, जो ग्राम विजयपुर, थाना– रागा, जिला साहेबगंज के हैं।

खरवा सोरेन ने उक्त वर्णित जमीन मौखिक रूप से मौजा के 16 आना रैयतों को
दान में दिये थे, जिसमें बच्चे खेलते हैं एवं वर्तमान में महाविद्यालय के छात्र खेल के मैदान के
रूप में उपयोग करते है। छात्र के द्वारा गणतंत्रता एवं स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रीय ध्वज की
फहराते हैं। इतना ही नहीं वर्णित जमीन संथाल संस्कृति के अनुसार जाहेर थान के रूप में लम्बे
समय से उपयोग एवं पुजा करते हैं। फ्रांसिस हेम्ब्रम का उक्त भूमि पर किसी भी तरह से दखल
नहीं है और न ही खतियानी रैयत है। उक्त जमीन 16 आना रैयतों के दखल में है। संथाल
संस्कृति के अनुसार कोई रैयत की नावल्द मृत्यू होती है तो सरकार के द्वारा उनके जमीन को
फौत घोषित करते हैं तथा बाद में गरीब व्यक्तियों को बन्दोबस्त करते हैं।

अतः विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने इस कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किये
हैं।

अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 259/रा0, दिनांक 16.09.2014 के द्वारा जाँच
प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, पतना ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि
मौजा– झिकटिया नं0– 31, जमाबंदी नं0– 29, दाग नं0– 244, 245, 265, 266, 267, 268 एवं
310, कुल रकवा 10 बीघा 11 कट्ठा 15 धूर जमीन परती पडा हुआ है।

आवेदक ने अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किये हैं:–

1. अंचल अधिकारी, पतना के द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।
2. अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के रेभेन्यू मिस केस नं0– 41/1997–98 के आदेश की छाया प्रति।
3. अंचल अधिकारी, पतना का दिनांक 02.04.2010 का दखल दिहानी का आदेश का फोटो प्रति।
4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव के ज्ञापांक क्रमशः 3779/रा0, दिनांक 10.11.2008 एवं 2699/रा0, दिनांक 18.11.2009 की छाया प्रति।
5. उपायुक्त, साहेबगंज के आर0एम0 वाद सं0– 13/2002–03 में दिनांक 18.06.2003 को निर्गत आदेश की छाया प्रति।

विपक्षी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये हैं:–

1. आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल दुमका के आर0एम0ए0 वाद सं0– 92/2003–04 का आदेश फलक की छाया प्रति।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से यह स्पष्ट है कि उक्त विवाद अधिकार से संबंधित है। पूर्व में पारित आदेशों से भी यह स्थापित है कि प्रथम पक्ष को न्यायालय द्वारा पारित आदेश से दखल दिलाया गया है। अतः यह न्यायालय निदेश देती है कि दखल के आधार पर झिकटिया प्रधान प्रथम पक्ष के पक्ष में लगान रसीद निर्गत करें। जब तक द्वितीय पक्ष किसी सक्षम न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक प्रथम पक्ष के पक्ष में लगान रसीद निर्गत होंगे। प्रस्तुत वाद में उत्तराधिकार के गुण–दोषों पर विचार नहीं किया गया है।

लेखापित एवं संसोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner